विधान परिषद के प्रथम सत्र, 2025 के द्वितीय शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं0-39 का उत्तरालेख।

प्रश्न	उत्तर
39 (क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक संख्या ख-096960, दिनांक 12 फरवरी, 2025 जो कि मण्डलायुक्त, आजमगढ़ को सम्बोधित एवं अपर आयुक्त, आजमगढ मण्डल द्वारा राजस्व नियमों विरुद्ध कार्यों के संबंध में है, प्राप्त हुआ है?	जी हाँ।
(ख) यदि हाँ, तो पत्र में किन-किन बिन्दुओं का उल्लेख कर कार्यवाही की माँग की गयी है ?	पत्रांक संख्या ख-096960, दिनांक 12 फरवरी, 2025 द्वारा अपर जिलाधिकारी, सदर, मऊ के उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम-1901 के अन्तर्गत धारा-41 में आदेश दिनांक 09.07.2019 के विरूद्ध आयुक्त न्यायालय में दाखिल वाद सं०-132/2011-12 मंजूर अहमद बनाम तुलसी देवी (यशवन्त) अन्तर्गत धारा-219 में पारित आदेश दिनांक 24.08.2018 द्वारा निगरानी बलहीन और निराधार पाये जाने के कारण निरस्त कर दिये जाने एवं अधीनस्थ न्यायालय (अपर आयुक्त) द्वारा अपीलीय न्यायालय (आयुक्त न्यायालय) के फैसले के खिलाफ बैकडेट में दिनांक-06.02.2025 को दिये गये अविधिक फैसले को निरस्त कर अपर आयुक्त के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने की मांग की गयी है।
(ग) पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर क्या कार्यवाही की गयी ?	प्रकरण के सम्बन्ध में पत्रावली के अवलोकनोपरान्त आयुक्त, आजमगढ मण्डल द्वारा आख्या दिनांक 22.02.2025 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि अपर उपजिलाधिकारी सदर मऊ के न्यायालय में भू०रा०अधि०-1901 की धारा-29/41 के अन्तर्गत दायर वाद सं0-डी201915510000055, तुलसी देवी बनाम मन्जूर अहमद में अपर उपजिलाधिकारी सदर, जनपद मऊ द्वारा अपने आदेश दिनांक 09.07.2019 द्वारा सीमांकन की पुष्टि की गयी। इस आदेश से क्षुब्ध होकर मंजूर अहमद द्वारा आयुक्त न्यायालय में भू०रा०अधि०-1901 की धारा-219 के अन्तर्गत निगरानी दायर की गयी। उक्त निगरानी आयुक्त न्यायालय के आदेश दिनांक 02.05.2022 द्वारा ग्राह्य करके निस्तारण हेतु अपर आयुक्त (न्यायिक) के न्यायालय में स्थानान्तरित कर दी गयी, जिसमें न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश दिनांक 06.02.2025 के माध्यम से अवर न्यायालय के

आदेश को निरस्त कर दिया गया। उक्त आदेश दिनांक 06.02.2025 बैकडेट में पारित नहीं किया गया है। दिनांक 15.01.2025 एवं दिनांक 23.01.2025 को उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनने के उपरान्त दिनांक 06.02.2025 को वाद का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर किया गया। अतः अपर आयुक्त (न्यायिक) द्वारा आदेश दिनांक 06.02.2025 न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत नियमानुसार व अभिलेखों के आधार पर पारित किया गया है।

(घ) क्या उक्त आख्या सदन की मेज पर रखेंगे ? — उपर्युक्तानुसार।

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों? — प्रश्न नहीं उठता।

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री, उ0प्र0।